न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 104 / 2013

उनवान

1. चुन्नीलाल उर्फ चुना पुत्र कजोड बैरवा चमार, निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

..........अपीलाण्ट

बनाम

1. भैरू लाल पिता गोकल खटीक निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट / वादी

2. काना पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. कल्याण पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4. मथुरा पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 96 / 1994(228 / 1993) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.5.2000

अभिभाषक : 1. श्री आर सी सारस्वत , अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. प्रत्यर्थी संख्या 2,3,4 अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 5.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 42 ए राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरूखेडा तहसील माण्डलगढ स्थित खसरा नम्बर 199 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के स्वर्गीय पिता कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा के खातेदारी में दर्ज होकर कब्जे में थी। खातेदार कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा ने उसके खाते व आधिपत्य की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से 1/5 वां हिस्सा बिल एवज 4500/—रूपये में दिनांक 25 मई 1981 को वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दी व जमीन का कब्जा भी दे दिया। विक्रय के पश्चात विक्रय शुदा भूमि का नामान्तरकरण सं0 120 दिनांक 10 जून 1981 वादी के पक्ष में खोला गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ने उसे स्वीकार नहीं किया व कानूनी अडचन लगाई तथा खाता वादी के नाम नहीं होकर कजोड के नाम चलता रहा । प्रतिवादीगण ने कजोड के खाते की वादग्रस्त भूमि के आपसी बंटवाडे कर लिये तथा उसके नम्बर 199/1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 199/4 रकबा 14 बिस्वा, 199/3 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 199/2 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, 199/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के रूप में दर्ज करा लिये । जो क्रमशः प्रतिवादी काना, कल्याण, मथुरा व चूना के नाम दर्ज हुए हैं। वादी को विक्रय की गई भूमि जिस पर वादी का कब्जा दिया गया उसके वर्तमान नम्बर 199/5 है तथा यह भूमि क्रय किये जाने की तिथि से वादी के कब्जेकाश्त में है लगान भी वादी ही जमा कराता आ रहा है । वादी ने प्रतिवादी नम्बर 5 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदारी दिये जाने का निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कानूनी अडचन बताते हुए आदेश पारित नहीं किया । नये कानून के अनुसार भूमि के विभाजन में रोक नहीं है । वादी को वादग्रस्त कब्जेसुदा आराजी नम्बर 199/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा का धारा 42

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी द्वारा स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी/प्रतिवादी को भेजी थी परन्तु वह सूचना अपीलार्थी को यथासमय नही मिल सकी चूंकि अपीअपीार्थी रोजगार हेतु कमा खाने बाहर गया हुआ था। जब निर्णय की नकल प्राप्त की तब जाकर अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हो सकी । इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बरूखेडा की आराजी नम्बर 199 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5/प्रतिवादीगण के पिता कजोड पिता ऊंकार बैरवा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। दिनांक 25.5.1981 को उक्त आराजी में से 1/5 भाग रेस्पोडेण्ट संख्या 1/वादी को बिल एवज रूपये 4500/—रू में विकय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर कब्जा सुपुर्द कर दिया । उक्त आराजी के आपसी बंटवाडे से आराजी नम्बर 199/1, 199/2, 199/3, 199/4 एवं 199/5 कायम होकर अपीलार्थी के नाम 199/5 दर्ज भूमि विक्रय दिनांक से ही वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के कब्जे में निरन्तर चली आ रही है। जिसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय करने एवं कब्जा होने से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जावे। जिस पर अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 4/प्रतिवादीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत कर खण्डन किया व वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का कब्जाकाश्त होने से इंकार किया । दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम की गई तथा तनकी नम्बर एक प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए अपीलार्थी के खाते में दर्ज आराजी नम्बर 199/5 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को प्रदान किये। उक्त निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह अंकित करते हुए कि तत्कालीन समय में धारा 42 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधान प्रभावी थे तथा उक्त विक्रय को नियमित नहीं करवाया गया । इस कारण उक्त विक्रय पत्र कतई वैध नहीं होने के बावजूद तनकी नम्बर दो का निर्णय भी त्रुटिपूर्ण पारित किया है।

6. तनकी नम्बर 2 के आधार पर तनकी नम्बर 3 व 4 भी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पक्ष में निर्णित की जो त्रुटिपूर्ण है। इन तनकियात का मुख्य आधार विक्रय पत्र दिनांक 25.5.1981 मानागया है । जबकि उक्त विक्रय पत्र ही मूलतः शून्य प्रभावी है क्योंकि निर्धारित समय सीमा के भीतर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उसका नियमन नहीं करवाया गया था। ऐसी स्थिति में वाद पत्र ही चलने योग्य नहीं था।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 5 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत पारित नहीं किया गया है। क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 199 में से 1/5 वॉ हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को विक्रय किया जाना अंकित है परन्तु 1/5 वॉ हिस्सा कौनसा था। यह अंकित नहीं किया गया है। उस समय भूमि का विभाजन नहीं होकर संयुक्त रूप में आराजियात थी। क्योंकि विक्रय पत्र 1/5 हिस्से का था न कि किसी भू भाग विशेष का उसमें वर्णन किया गया था। ऐसी स्थिति में किसी भू भाग विशेष का कब्जा अंकित करना विपरीत होकर त्रुटिपूर्ण है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि अविभक्त आराजियात में प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक खोदार काश्तकार का कब्जा है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त हिस्सा जो कि अपीलार्थी के हिस्से में आया है जिसकी खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या1/वादी को दिये गये है। उस विक्रय पत्र में उसे विक्रय की गई आराजी के पडौस भी अंकित नहीं किये गये हैं। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि अपीलार्थी के कब्जेसुदा आराजी का ही प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को विक्रय किया गया था ।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 25.5.1981 द्वारा आराजी नम्बर 199 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा में से 1/5 वॉ हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को विक्रय किया गया था । इस प्रकार 13 बीघा 14 बिस्वा का पॉचवां हिस्सा 2 बीघा 14 बिस्वा लगभग बनता है न कि 3 बीघा 14 बिस्वा। आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 199/5 का रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा बनता है जिसकी खातेदारी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को दिया जाना कतई उचित नहीं है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि यदि उपरोक्त विक्रय पत्र 25.5.1981 के वैध मान भी लिया जावे तो भी अकेले अपीलार्थी के रकबे का प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना कतई उचित नहीं है। क्योंकि कजोड पिता ऊंकार के समस्त वारिसान के हिस्से से कम की जाकर विक्रय शुदा आराजी के रकबे तक ही प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी की आराजी संख्या 199/5 जरिये विभाजन दर्ज हुई है और अन्य रेस्पोडेण्ट के नामदर्ज आराजियात के विभाजन को निरस्त कराये बिना वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं था। सक्षम न्यायालय से विभाजन की डिक्री को निरस्त करवाकर ही वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अपने तथाकथित विक्रय पत्र को सिद्ध करा अपने 1/5 वें हिस्से के रकबे तक का विभाजन करा डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता था। जो उसके द्वारा नहीं कर गलत वाद पेश किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री खारिज योग्य है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2016 पेज 679 आर आर डी 2009 पेज 195, आर आर टी 2017 (1) पेज711, आर आर टी 2016 (2) पेज 1110 की ओर ध्यान आकर्षित कर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे चूंकि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं दर्शाया है।

13. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम बरूखेडा तहसील माण्डलगढ स्थित खसरा नम्बर 199 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा जो कि कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा के खातेदारी में दर्ज होकर कब्जे में थी। खातेदार कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा ने उसके खाते व आधिपत्य की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से 1/5 वां हिस्सा बिल एवज 4500/–रूपये में दिनांक 25 मई 1981 को प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। तभी से वह सुपुर्द किये गये भू भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उसका लगान भी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ही जमा करा रहा है। उक्त आराजी के आपसी बंटवाडे से आराजी नम्बर 199/1, 199/2, 199/3, 199/4 एवं 199/5 कायम होकर अपीलार्थी के नाम 199/5 दर्ज भूमि विक्रय दिनांक से ही वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के कब्जे में निरन्तर चली आ रही है।

14. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर यदि अपीलाण्ट का कब्जा होता तो वे लगान जमा कराते एवं इस तथ्य को प्रमाणित करते कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा था। उनके द्वारा न तो लगान जमा कराया गया है एवं न ही कब्जा ही कभी अपीलाण्ट का रहा है। वादग्रस्त आराजी जिस समय प्रत्यर्थी संख्या1/वादी को विक्रय की गई ।उस समय उक्त भूमि शामलाती नहीं होकर कजोड पिता ऊंकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

के खाते में दर्ज थी। जिसमें से ऊंकार द्वारा वादग्रस्त आराजी का कब्जा सौंपा गया था। उसी भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2017 (1) पेज 117, आर आर टी 2016 (2) पेज 1381, आर आर टी 2014 (1) पेज 154, आर एल डब्ल्यू (2) 2013 पेज 1096 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

15. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने की अवधि को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया । चूंकि अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद मानी जाती है।

16. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विकय पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें ग्राम बरूखेडा तहसील माण्डलगढ स्थित खसरा नम्बर 199 रकबा 13 बीघा 14 बिस्वा जो कि कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा के खातेदारी में दर्ज होकर कब्जे में थी। खातेदार कजोड पिता औंकार बैरवा निवासी बरूखेडा ने उसके खाते व आधिपत्य की उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में से 1/5 वां हिस्सा बिल एवज 4500/—रूपये में दिनांक 25 मई 1981 को प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को जरिये रजिस्टर्ड

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
संभाग राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलाण्ट का यह कथन कि उस समय जमीन शामलाती में थी इसलिए शामलाती की आराजी में प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक ईंच भूमि पर समान रूप से अधिकार होता है। प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2033 से 2036 में वादग्रस्त तत्कालीन समय में शामलाती नहीं होकर कजोड पिता ऊंकार नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। जिसमें उसे अपने खाते की आराजी को विक्रय करने का पूरा अधिकार था। उक्त विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि का कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को सौंपे जाने का भी अंकन किया गया है।

17. अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी नम्बर 199/5 अपने हिस्से में आना एवं उस पर अपना कब्जाकाश्त होने का कथन किया है परन्तु अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तोवजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। जिससे यह तथ्य प्रमाणित होता हो कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त रहा हो। अपीलाण्ट ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजियात के पडौसियों के नाम भी अंकित किये है। इसके साथ ही वादग्रस्त आराजियात पर काश्त करने तथा वादग्रस्त आराजियात के पडौसियान को साबित करने के लिए रेस्पोडण्ट की ओर से गवाहन पी डब्ल्यू 2 कजोड पिता देवी कीर, पी डब्ल्यू 3 अब्दुल समद पिता इस्माईल एवं पी डब्ल्यू 4 सोहन लाल पिता भूरा खटीक के बयान पंजिबद्ध कराये है। जो वादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात पर वादी द्वारा काश्त करने की पुष्टि करते है। इसके विपरीत प्रतिवादी की आरे से गवाह डी डब्ल्यू 1/प्रतिवादी संख्या 1 काना पिता कजोड चमार के बयान कराये गये है। जो कि स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 2 होकर कजोड पिता ऊंकार चमार का पुत्र है। उसने अपने बयानो

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में अपने पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी का विक्रय करने से इंकार किया है।

18. डी डब्ल्यू 1 काना पिता कजोड चमार ने वादग्रस्त आराजी को उनके पिता द्वारा विक्रय करने से ही इंकार किया है तथा कब्जा भी प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का होने से इंकार किया है। कजोड पिता ऊंकार की मृत्यु के उपरान्त हम भाईयों ने जमीन को बांट ली है। इस गवाह ने अपने बयान में आराजी नम्बर 199 में किस–किस प्रतिवादीगण के हिस्से में कौन–कौनसी भूमि आई उसके बारे में बताते हुए बयान पंजिबद्ध कराया है कि ''धराऊ की तरफ से सबसे पहले मथुरा जी बाद में चुनी लाल, फिर कल्याण, फिर काना मेर पाटिये हैं। ''इस प्रकार चूनी लाल की भूमि मध्य में होना अंकित किया है। जबकि गवाह पी डब्ल्यू 1 भैरू लाल आत्मज गोकल खटीक जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी है जिसने वादग्रस्त आराजी जिस पर वादी का कब्जा है उसको लंकाऊ की तरफ होना बताया है।

19. वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होने के सबंध में अपीलाण्ट ने किसी तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसके विपरीत वादग्रस्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा कजोड से क्रय कर कब्जा प्राप्त करना एवं कब्जा वादी का होने की पुष्टि में गवाह पी डब्ल्यू 2 से 4 के बयान पंजिबद्ध कराये हैं। पंजीकृत बिकावनामा दिनांक 25.5.81 की प्रति भी संलग्न की है। वादी द्वारा भूमि को क्रय की गई जिसका इन्तकाल भी वादी के पक्ष में खोला गया। ऐसी स्थिति में गवाह डी डब्ल्यू 1 का यह कहना कि उसके पिता द्वारा कोई भूमि विक्रय नहीं की गई। तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी का कब्जाकाश्त क्रय के समय से ही लगातार चला आ रहा है। जिस भूमि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर वह काबिज है वह भूमि कजोड की मृत्यु के उपरान्त अपीलाण्ट के हिस्से दर्ज की गई है। जिसकी खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है । वह विधिसम्मत होने से उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

20. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.5.2000 को यथावत रखा जाता है। डिकी पर्चा मूर्तिब किया जावे।

21. निर्णय आज दिनांक 5.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 104 / 2014

उनवान

1. चुन्नीलाल उर्फ चुना पुत्र कजोड बैरवा चमार, निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

..........अपीलाण्ट

बनाम

1. भैरू लाल पिता गोकल खटीक निवासी बीगोद, तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट / वादी

2 काना पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3 कल्याण पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
4 मथुरा पिता कजोड बैरवा चमार निवासी बरूखेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील. विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 96 / 1994(228 / 1993) निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.5.2000

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / **104 / 2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 5.12.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री आर सी सारस्वत वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया की उपस्थिति मे दिनांक 5.12.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 31.5.2000 को यथावत रखा जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 5.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट	रेस्पोडेण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन	1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील	3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस	4. प्लीडर की फीस